कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा के दिन जमा करें ।

परीक्षा का नाम :–लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला (कौशल परीक्षा)
परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।
रोल नंबर :– CM AG 3 – 503
परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

अभ्यर्थी का नाम :– प्रकाश निर्मलकर

पिता/पति का नाम:– श्री दिनेश कुमार निर्मलकर

पत्र व्यवहार का पता :– म.नं. ई.ड्ल्यू एस. 178 महाराणा प्रताप नगर घंटाघर कोरबा, जिला- कोरबा , (छत्तीसगढ़)

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान भर्ती समित के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। भर्ती समिति/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा के दिन जमा करें ।

परीक्षा का नाम :–लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला (कौशल परीक्षा)
परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।
रोल नंबर :– CM AG 3 – **715**
परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

अभ्यर्थी का नाम :– मृत्युंजय पाण्डेय

पिता/पति का नाम:– श्री वेद प्रकाश पाण्डेय

पत्र व्यवहार का पता :– पंचशील नगर पश्चिम बी0 एम 0 वाय 0 चरोदा भिलाई, जिला- दुर्ग, ()

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान भर्ती समित के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। भर्ती समिति/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा के दिन जमा करें ।

परीक्षा का नाम :–लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला (कौशल परीक्षा)
परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।
रोल नंबर :– CM AG 3 – 63
परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

अभ्यर्थी का नाम :– विनोद राजपूत

पिता/पति का नाम:– श्री गोंविदा राजपूत

पत्र व्यवहार का पता :– पुरानी बस्ती भारत पीपल के पास वार्ड नम्बर 17 अकलतरा जांजगीर ,
जिला- जांजगीर-चांपा , (छत्तीसगढ़)

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान भर्ती समित के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। भर्ती समिति/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा के दिन जमा करें ।

परीक्षा का नाम :–लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला (कौशल परीक्षा)
परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।
रोल नंबर :– CM AG 3 – **758**
परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

अभ्यर्थी का नाम :– रजनी

पिता/पति का नाम:– श्री फागु राम

पत्र व्यवहार का पता :– ग्राम भलवाही लगरा थाना मुलमुला,
जिला- जांजगीर चांपा, ()

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान भर्ती समित के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। भर्ती समिति/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा के दिन जमा करें ।

परीक्षा का नाम :–लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला (कौशल परीक्षा)
परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।
रोल नंबर :– CM AG 3 – **878**
परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

अभ्यर्थी का नाम :– छन्नू लाल साहू

पिता/पति का नाम:– श्री पंचू राम साहू

पत्र व्यवहार का पता :– ग्राम साराडीह पोस्ट- गाड़ाभाठा, तहसील- पलारी पिन 493196, जिला- बलौदा बाजार- भाटापारा , (छत्तीसगढ़)

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान भर्ती समित के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। भर्ती समिति/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा के दिन जमा करें ।

परीक्षा का नाम :–लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला (कौशल परीक्षा)
परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।
रोल नंबर :– CM AG 3 – **1156**
परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

अभ्यर्थी का नाम :– तसलीम अंसारी

पिता/पति का नाम:– श्री गेयासुद्दीन अंसारी

पत्र व्यवहार का पता :– नूरानी मस्जिद के पास मोमिनपुरा, अम्बिकापुर , जिला- सरगुजा स्थान अंबिकापुर, (छत्तीसगढ़)

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान भर्ती समित के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। भर्ती समिति/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा के दिन जमा करें ।

परीक्षा का नाम :–लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला (कौशल परीक्षा)
परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।
रोल नंबर :– CM AG 3 – **16**
परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

अभ्यर्थी का नाम :– चिरंजीव देवांगन

पिता/पति का नाम:– श्री भागीरथी देवांगन

पत्र व्यवहार का पता :– परषुराम वार्ड, लिंक रोड आबकारी आफीस के पास भाटापारा , जिला- बलौदा बाजार- भाटापारा , (छत्तीसगढ़)

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान भर्ती समित के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। भर्ती समिति/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा के दिन जमा करें ।

परीक्षा का नाम :–लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला (कौशल परीक्षा)
परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।
रोल नंबर :– CM AG 3 – **103**
परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

अभ्यर्थी का नाम :– सुनील कुमार राठौर

पिता/पति का नाम:– श्री सुभाषचंद राठौर

पत्र व्यवहार का पता :– हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जांजगीर, एल 0 आई 0 जी0-65 , जिला- जांजगीर-चांपा , (छत्तीसगढ़)

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान भर्ती समित के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। भर्ती समिति/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा के दिन जमा करें ।

परीक्षा का नाम :–लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला (कौशल परीक्षा)
परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।
रोल नंबर :– CM AG 3 – **111**
परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

अभ्यर्थी का नाम :– **अवधेश साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री सीताराम साहू

पत्र व्यवहार का पता :– धोबनिन तालाब पार, ग्राम-मेहन्दा, पोस्ट-कुटरा जांजगीर , जिला- जांजगीर-चांपा , (छत्तीसगढ़)

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान भर्ती समित के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। भर्ती समिति/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा के दिन जमा करें ।

परीक्षा का नाम :–लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला (कौशल परीक्षा)
परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।
रोल नंबर :– CM AG 3 – **623**
परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

अभ्यर्थी का नाम :– दानवीर सिन्हा

पिता/पति का नाम:– श्री याद राम सिन्हा

पत्र व्यवहार का पता :– ग्राम पंतोरी पोस्ट- वेलर तहसील राजिम , जिला- गरियाबंद , ()

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान भर्ती समित के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। भर्ती समिति/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा के दिन जमा करें ।

परीक्षा का नाम :–लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला (कौशल परीक्षा)
परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।
रोल नंबर :– CM AG 3 – **740**
परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

अभ्यर्थी का नाम :– ममता साहू

पिता/पति का नाम:– श्री गजाधर प्रसाद साहू

पत्र व्यवहार का पता :– कीर्ति नगर नयापारा सिरगिट्टी बिलासपुर, जिला- बिलासपुर, ()

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान भर्ती समित के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। भर्ती समिति/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा के दिन जमा करें ।

परीक्षा का नाम :–लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला (कौशल परीक्षा)
परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।
रोल नंबर :– CM AG 3 – **750**
परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

अभ्यर्थी का नाम :– रूक्साना खान

पिता/पति का नाम:– श्री गोरे खान

पत्र व्यवहार का पता :– ग्राम लवन बलोदा बाजार भाटापारा माहापाया मंदिर चौक वार्ड नं. 06,
जिला- बलौदा बाजार, ()

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान भर्ती समित के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। भर्ती समिति/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा के दिन जमा करें ।

परीक्षा का नाम :–लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला (कौशल परीक्षा)
परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।
रोल नंबर :– CM AG 3 – **867**
परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

अभ्यर्थी का नाम :– **चन्द्रहास**

पिता/पति का नाम:– श्री घसिया

पत्र व्यवहार का पता :– ग्राम- कपसाखुंटा, पोस्ट- बरोली, तहसील- बसना, पिन 493554, जिला- महासमुंद , (छत्तीसगढ़)

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान भर्ती समित के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। भर्ती समिति/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा के दिन जमा करें ।

परीक्षा का नाम :–लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला (कौशल परीक्षा)
परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।
रोल नंबर :– CM AG 3 – **1073**
परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

अभ्यर्थी का नाम :– मेहुल देवांगन

पिता/पति का नाम:– श्री गोपाल प्रसाद

पत्र व्यवहार का पता :– ग्रा व पो. सोंठी, तह. सक्ती, पिन 495689, जिला- सक्ती , (छत्तीसगढ़)

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान भर्ती समित के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। भर्ती समिति/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा के दिन जमा करें ।

परीक्षा का नाम :–लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला (कौशल परीक्षा)
परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।
रोल नंबर :– CM AG 3 – **1171**
परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

अभ्यर्थी का नाम :– नरेन्द्र कुमार राठौर

पिता/पति का नाम:– श्री सुरेश कुमार राठौर

पत्र व्यवहार का पता :– VIP City कॉलोनी नैला (जांजगीर), तहसील- जांजगीर,पोस्ट- जांजगीर ,
जिला- जांजगीर-चांपा , (छत्तीसगढ़)

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान भर्ती समित के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। भर्ती समिति/अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

क्रमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल